



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्रमांक / 819 / निविदा / 2019

सिंगरौली दिनांक 21/11/19

अल्प अवधि निविदा सूचना

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु शासकीय उपयोग बावत सामग्री कय एवं किराये पर लिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0	कय किराये पर ली जाने वाली सामग्री का विवरण	अमानत राशि	निविदा फार्म की लागत	रिमार्क
1	कम्प्यूटर फेरीफेरल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री	5000 / -	200	
2	फोटो कापियर लगाने हेतु	5000 / -	200	

इच्छुक निविदाकार दिनांक 30.11.2019 को दिन के 3.00 बजे तक निविदा फार्म शील बन्द लिफाफे में कार्यालय कलेक्टर के नजारत शाखा में जमा कर सकते हैं। एवं प्राप्त निविदा उसी दिनांक 30.11.2019 को शाम 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के सामने जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा खोली जावेगी।

उक्त विज्ञापन सिंगरौली जिले की वेब साइट www.singrauli.nic.in पर देखा जा सकता है। निविदा फार्म वेब साइट से प्राप्त करने पर फार्म जमा करते समय फार्म की राशि जमा की जा सकती है। अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन कार्य दिवस में जिला नजारत शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

अपर कलेक्टर

हेतु कलेक्टर

जिला सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली दिनांक 21/11/19

पृ0क्रमांक / 820 / निविदा / 2019

प्रतिलिपि:-

1. समस्त कार्यालय प्रमुख जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु।
2. जिला सम्पर्क अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि कम से कम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में केवल रु. 1000.00 (रु. एक हजार) प्रति पेपर के मान से प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

3- डी0 आर्डर और एनू0 आर्डर सोच सिंगरौली की ओर वेबसाइट में अपलोड-किये हूँ।

अपर कलेक्टर

हेतु कलेक्टर

जिला सिंगरौली (म0प्र0)



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में फोटोकापियर लगाये जाने के लिए

1. फर्म/संस्था/व्यक्ति का नाम
2. पता
3. रजिस्ट्रेशन नं०
4. पैन नं०
5. टिन नं०
6. मोबाईल नं०
7. ई-मेल आई.डी. (यदि हा)

(नोट- राशि ₹0 5000/- ₹0 (पाँच हजार) सिक्योरिटी के रूप में जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्रॉफ्ट कलेक्टर सिंगरौली के नाम जमा करना अनिवार्य होगा)

फोटोकापी का विवरण

क्र०	विवरण	प्रति नग राशि अंकों में	प्रति नग राशि शब्दों में
1	फोटोकापी ए4 साइज सिंगल साइड		
2	फोटोकापी ए4 साइज डबल साइड		
3	फोटोकापी ए3 साइज सिंगल साइड		
4	फोटोकापी ए3 साइज डबल साइड		
5	फोटोकापी लीगल साइज सिंगल साइड		
6	फोटोकापी लीगल साइज डबल साइड		

फोटोकापियर लगाये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों का नियमानुसार पालन करना होगा।

1. कार्यालय द्वारा फोटोकॉपी का आदेश देने पर निर्धारित समय के अन्दर कार्य करना होगा।
2. फोटोकॉपी के हिसाब के लिए संबंधित फर्म द्वारा एक फोटोकॉपी रजिस्टर संधारित करेगा एवं फोटोकॉपी करवाने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर प्राप्त करेगा ताकि भुगतान के समय हिसाब का अवलोकन करा सके एवं फोटोकॉपी की छायप्रति प्रस्तुत करना होगा।
3. जिन निविदादाता का दर स्वीकृत हुआ है उनको स्वीकृत निविदा दर अनुसार फोटोकॉपी करना अनिवार्य होगा।
4. फोटोकॉपी के सही नमूने व पर्याप्त संख्या एवं निर्धारित दर पर प्राप्त करने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख/प्रभारी अधिकारी की होगी।
5. शासन द्वारा समय-समय पर नियमानुसार निर्धारित टैक्स जो भी लागू होगा भुगतान करना अनिवार्य होगा।
6. किसी प्रकार के विवाद होने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिंगरौली का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

हस्ताक्षर